बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

बिहार राज्यपाल के आदेश से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 16 (क) के अन्तर्गत श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त,कटिहार के विरूद्व विभागीय संकल्प संख्या 6/श्र0 वि0 आ0 (02)–40/2014 श्र0सं0 797 दिनांक 11.03.2016 द्वारा प्रपत्र "क" में गठित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री देव नन्दन यादव, तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अरूण कुमार न0 1, अवर सचिव (श्रम पक्ष) श्रम संसाधन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री देवनन्दन यादव के दिनांक 31.08.2016 को वार्धक्य के रूप से सेवानिवृत हो जाने एवं इस विभागीय कार्यवाही का अंतिम जॉच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण विभागीय संकल्प संख्या 2933 दिनांक 05.10.2016 द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को यथावत् रखते हुये श्री भुवनेश्वर मिश्रा, तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री भुवनेश्वर मिश्रा दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत हो चुके हैं एवं इस विभागीय कार्यवाही का अंतिम जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

2. अतएव श्री भुवनेश्वर मिश्रा, तत्कालीन अपर सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी के स्थान पर श्री शैलेश कुमार, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को श्री आदित्य राजहंस तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर, सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के विरूद्व विभागीय संकल्प संख्या 797 दिनांक 11.03.2016 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. संकल्प संख्या 797 दिनांक 11.03.2016 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

4. संकल्प संख्या 797 दिनांक 11.03.2016 की शेष बातें यथावत रहेगीं।

5. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर, सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

निबंधित

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0– 6/श्र वि0 आ0 (02)–40/2014 श्र0सं0– 733 पटना, दिनांक–27/3/2017

प्रतिलिपि– निम्नांकित को प्राप्त करायी जायः–

1. श्री शैलेश कुमार, संचालन पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय कार्यवाही के फोल्डर (मूल रूप में) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही की जॉच तीन माह के अन्दर पूर्ण कर, जॉच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार का समर्पित करने का कष्ट किया जाय। कार्यवाही अभिलेख में एक आदेश फलक (आर्डर सहित) जुड़ा रहना चाहिए।

2. श्री अरूण कुमार नं0–1 प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अवर सचिव (श्रम पक्ष), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री अरूण कुमार नं0–01 प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे।
3. श्री आदित्य राजहंस, आरोपित पदाधिकारी–सह–तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर, सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(श्री आदित्य राजहंस को निबंधित डाक से संकल्प की प्रति प्राप्त कराई जाय)
4. श्रमायुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सभी संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सभी उप सचिव, एवं सभी विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. सभी प्रशाखा पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

Sankalp-6/4